

राजस्थान सरकार

3/34



सत्यमेव जयते

श्री प्रद्युम्न सिंह

वित्त मंत्री, राजस्थान

का

भाषण

जो उन्होंने

राजस्थान विधान सभा में वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान

प्रस्तुत करते समय दिया

जयपुर, 22 मार्च, 2002

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2001–2002 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2002–2003 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. वर्ष 2001–2002 न केवल हमारे राज्य के लिए अपितु पूरे देश के लिए चुनौती पूर्ण रहा है। मुझे संतोष है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमने प्रदेश के विकास की गति को बनाये रखा है तथा जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं।
3. आज देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। विश्व भर में घटने वाली घटनाओं का प्रभाव न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति भी इससे अछूती नहीं रह सकती। देश की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 1998–99 में 6.5 प्रतिशत थी जिसके इस आर्थिक मंदी के दौर में घटकर चालू वर्ष में मात्र 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। देश की संघीय शासन व्यवस्था में आय के मुख्य स्रोत केन्द्र सरकार के पास हैं जबकि व्यय की ज़िम्मेदारियां राज्यों के पास अधिक हैं। केन्द्र से राशियों के राज्यों

को अंतरण के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। देश की आर्थिक वृद्धि दर के घटने के कारण राज्य को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले संसाधनों में भारी कमी हुई है।

4. इसके अतिरिक्त 11 सितंबर 2001 को अमेरिका एवं 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमलों से राज्य के रत्न व्यवसाय, हस्तशिल्प निर्यात एवं पर्यटन विकास से जुड़े व्यवसायों में भारी कमी आने के कारण भी राज्य के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

5. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं केन्द्र सरकार ने अपने आगामी वर्ष के बजट में लघु बचत योजनाओं में जमा किये जाने वाले धन पर ब्याज दर में कमी की है व नाबाड़ से राज्य को मिलने वाले उधार पर भी ब्याज दर में कमी की घोषणा की है। ब्याज दर में इस कमी का राज्य को दीर्घ अवधि में लाभ मिलेगा परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी भी केन्द्र से राज्यों को मिलने वाले ऋण पर देय ब्याज दर में वांछित कमी नहीं की है जिसकी मांग राज्य सरकार लंबे समय से करती चली आ रही है। लघु बचत ऋणों पर तथा बाजार से

उगाहे जा रहे ऋणों पर देय ब्याज दर को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय ऋणों पर देय ब्याज दर में तीन से चार प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए थी जबकि केवल आधे प्रतिशत की कमी की गयी है। अतः मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय ऋणों की ब्याज दर में और कमी करके इसे तर्कसंगत बनाएं।

6. अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत वर्ष में जमा शुद्ध राशि का 80 प्रतिशत राज्यों को ऋण मिलता था जिसे बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष से 100 प्रतिशत किया गया है। इसके फलस्वरूप शुद्ध जमा राशि के मिलने वाले 20 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्से का अल्पबचत के पेटे प्राप्त पूर्व के मंहगे ऋणों को छुकाने में उपयोग किया जायेगा।

7. मंदी के दौर के कारण केन्द्र सरकार का इस वर्ष का कर राजस्व संग्रहण बजट अनुमानों की तुलना में कम रहा है। केन्द्र सरकार के वर्ष 2001–2002 के संशोधित अनुमानों से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्र के कुल कर राजस्व में बजट अनुमानों की तुलना में 29 हजार 956 करोड़ रुपये की कमी होगी। केन्द्र सरकार के राजस्व संग्रहण में इस कमी के

कारण राज्य को केन्द्र से मिलने वाले करों के हिस्से में बजट अनुमानों की तुलना में चालू वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपये की कमी होगी। केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में केन्द्रीय करों में से कम अंतरण की आंशिक पूर्ति की दृष्टि से अतिरिक्त ऋण उगाहने की अनुमति दी है जिससे किसी सीमा तक संसाधन तो उपलब्ध हो सके हैं किन्तु वास्तव में राज्य पर इसकी दोहरी मार पड़ेगी। एक ओर तो राज्य को मिलने वाले राजस्व में कमी आयी है दूसरी ओर राज्य पर मजबूरन ऋण भार और उस पर देय ब्याज का भार पड़ेगा। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में मिलने वाले हिस्से के लगाए गए अनुमानों की तुलना में केन्द्र सरकार के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य को वर्ष 2002–2003 में 680 करोड़ रुपये कम प्राप्त होना संभावित है।

४. राज्य को इस वर्ष लगातार तीसरी बार अकाल की भयंकर मार का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत गतिविधियां चलाकर अकाल से प्रभावित जनता व पशुओं को राहत प्रदान की। मैं अकाल राहत कार्यों से जुड़े हुए समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अच्छे प्रबंधन के लिए बधाई देता हूँ। उल्लेखनीय है कि इस

अवधि में हमने अधिकतम दर से मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया। अकाल राहत हेतु यथासंभव पक्के कार्य करवाये जिनका दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सकेगा।

9. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों के लिए निर्धारित गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान में से केन्द्र सरकार द्वारा 15 प्रतिशत राशि काटकर तथा काटी गई कुल राशि के समान केन्द्रीय अंशदान से एक प्रोत्साहन निधि स्थापित की गई है। इस प्रोत्साहन निधि में से वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में प्रत्येक राज्य को देय हिस्से का निर्धारण ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्कीम के तहत वर्ष 1999–2000 की तुलना में वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में प्रतिवर्ष राजस्व घाटे में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम 5 प्रतिशत की कमी करने पर प्रत्येक राज्य उपरोक्त प्रोत्साहन निधि में से निर्धारित राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

10. मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित प्रोत्साहन निधि में से राज्य

को वर्ष 2000–2001 में राजस्व घाटे में 16 प्रतिशत की कमी करने के फलस्वरूप 171 करोड़ 68 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। आशा है कि हम वर्ष 2001–2002 के लिए भी प्रोत्साहन निधि में से निर्धारित 92 करोड़ 80 लाख रुपये प्राप्त कर सकेंगे।

11. आर्थिक मंदी, केन्द्र से मिलने वाले संसाधनों में कमी और राज्यों के अपने सीमित साधनों में राष्ट्रीय नीतियों की वजह से होने वाली कमियों के कारण आज लगभग सारे प्रदेश विषम वित्तीय कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। राज्यों के पास अपने साधन सीमित हैं जबकि न्याय, कानून व व्यवस्था एवं सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तथा समाज कल्याण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। पाँचवा वेतन आयोग लागू होने के परिणामस्वरूप वेतन—भत्तों एवं पेंशन पर होने वाले व्यय में भी भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार राज्य सीमित साधनों की तुलना में बढ़ते व्यय से चिंतित हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य में डाली गयी वित्तीय अनुशासन की परंपरा का ही परिणाम रहा है कि एक ओर केन्द्र सरकार व कई राज्य सरकारें जहां चालू वित्तीय वर्ष में

कर राजस्व में विशेष बढ़ोतरी नहीं कर पाई हैं, वहीं हमारे राज्य के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। बढ़ते हुए व्यय दायित्वों को देखते हुए राजस्व में और वृद्धि किया जाना आवश्यक है ताकि राज्य के विकास को गति दी जा सके। मुझे आशा है कि मेरे बजट प्रस्ताव राज्य के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग :

12. द्वितीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। प्रतिवेदन तथा इस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन इसी सत्र में सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

आर्थिक समीक्षा :

13. राज्य की आर्थिक स्थिति वर्षा पर बहुत निर्भर रहती है। इस वर्ष राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य वर्षा हुई। कृषि क्षेत्र में अच्छे उत्पादन तथा उद्योग व अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति के फलस्वरूप त्वरित अनुमानों के आधार पर वर्ष 1993—94 की स्थिर कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष 55 हजार 655 करोड़ रुपये होने की संभावना है जो कि विगत वर्ष से 9.86 प्रतिशत अधिक है। प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष 85 हजार 652 करोड़ रुपये का अनुमानित किया गया है जो पिछले वर्ष से 12.05 प्रतिशत अधिक है।

14. इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 8 हजार 559 रुपये रहने की संभावना है जो गत वर्ष से 7.9 प्रतिशत अधिक है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 9.79 प्रतिशत बढ़कर 13 हजार 151 रुपये होना अनुमानित है।

वार्षिक योजना :

15. वार्षिक योजना 2002–2003 के प्रावधानों के संबंध में योजना आयोग से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होना शेष है। आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष की योजना का आकार 5 हजार 535 करोड़ 43 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। वार्षिक योजना 2002–2003 में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। इन सेवाओं पर कुल योजना का 29 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

दसवीं पंच वर्षीय योजना :

16. दसवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में योजनान्तर्गत विकास को व्यापक बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यकारी दलों का गठन किया गया। इन दलों द्वारा सुझाई गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। दसवीं पंच वर्षीय योजना का आकार 31 हजार 831 करोड़ रुपये अनुमानित किया

गया है। दसवीं पंच वर्षीय योजना में हमने ऊर्जा, सड़क, परिवहन एवं सिंचाई क्षेत्रों को समुचित महत्व दिया है। साथ ही सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में कुल योजना का लगभग 77 प्रतिशत व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए योजना में 498 करोड़ 10 लाख रुपये ब्लॉक ग्रांट के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। दसवीं पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप पर योजना आयोग से औपचारिक विचार-विमर्श बाकी है।

सड़कें :

17. पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने सड़कों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु 600 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तावित की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 11 हजार किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य जून 2002 तक पूरा कर लिया जायेगा। शेष 13 हजार किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य भी आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

18. केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त होने वाली राशि में से राज्य उच्च मार्ग व मुख्य जिला सड़कों को छौड़ा करने तथा उनके नवीनीकरण का प्रभावी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 2 हजार 500 किलोमीटर लंबे 95 राज्य मार्ग व मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इस कार्य पर 150 करोड़ रुपये का व्यय होना अनुमानित है। इस योजना में धार्मिक व पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली निम्न सड़कें शामिल हैं:-

धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें :

1. सिकंदरा—गुड़ाचन्द्रजी—नादौती—श्रीमहावीरजी
2. जोधपुर—पोकरण—रामदेवरा
3. रींगस—खाटूश्यामजी
4. सोयला—डिग्गी
5. जयपुर—डिग्गी

6. राजाखेड़ा—कैलादेवी
7. बीकानेर—नापासर—लाडनू
8. अजमेर—पुष्कर
9. भीलवाड़ा—नाथद्वारा
10. केलवाड़ा—चारभुजा

पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें :

1. भरतपुर—बयाना—हिण्डौन—गंगापुर—सवाईमाधोपुर
2. टोंक—सवाईमाधोपुर
3. जोधपुर—जैसलमेर
4. मंडावा—बिसाऊ
5. जयपुर—सामोद
6. शाहपुरा—अलवर

7. भरतपुर—अलवर
8. झालावाड़—झालरापाटन
9. सिरोही—स्वरूपगंज—डूंगरपुर—बांसवाड़ा

19. इसके अतिरिक्त रत्नगढ़ से सरदारशहर, पल्लू, रावतसर एवं हनुमानगढ़ सड़क की पूरी लंबाई के नवीनीकरण का कार्य भी शामिल किया गया है।

20. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1 हजार से अधिक आबादी के गाँवों को सभी मौसम में चलने वाली अच्छी गुणवत्ता की सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है। चालू वर्ष में 535 गाँवों को सड़कों से जोड़ने हेतु 2 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का कार्य प्रगति पर है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में हमारा राज्य सबसे आगे है। शेष 1 हजार 725 गाँवों को आगामी वर्ष में सड़कों से जोड़ने हेतु लगभग 3 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

21. राज्य में सड़क निर्माण के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बी.ओ.टी. (Build, Operate and Transfer) योजना के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस हेतु निजी निवेश को और बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से “राज्य सड़क विकास – 2002” अध्यादेश कुछ समय पूर्व ही जारी किया गया है। इसके लागू होने से उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का निराकरण हो सकेगा और बी.ओ.टी. के तहत नई सड़कों के निर्माण को गति मिलेगी।

ऊर्जा :

22. राज्य की विद्युत् आवश्यकता एवं उत्पादन के अंतर को बाहर से विद्युत् क्रय कर पूरा किया जाता है। हमारे अथक प्रयासों से विद्युत् उत्पादन में हुई भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप विद्युत् की खरीद पर लगातार बढ़ते खर्च में ठहराव आया है। इस वर्ष विद्युत् क्रय पर लगभग 2 हजार 400 करोड़ रुपये का व्यय होना संभावित है जो गत वर्ष के बराबर है।

23. आगामी वर्ष की राज्य योजना में ऊर्जा क्षेत्र हेतु 1 हजार 414 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसकी विगत निम्नानुसार है:-

1. उत्पादन मद में 240 करोड़ रुपये
2. प्रसारण मद में 390 करोड़ रुपये
3. उप प्रसारण, वितरण प्रणाली में सुधार तथा एलटी लैस योजनाओं हेतु 464 करोड़ रुपये
4. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपये
5. ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों हेतु राजकीय सहायता 200 करोड़ रुपये

24. इसके अतिरिक्त 15 करोड़ 17 लाख रुपये राजस्थान ऊर्जा विकास अभियान (REDA) के माध्यम से गैर-परपंरागत ऊर्जा स्रोतों (Non Conventional Energy Sources) का विकास करने के लिए प्रस्तावित हैं जिसमें से 25 गाँवों का विद्युतीकरण भी किया जाएगा।

25. सूरतगढ़ तापीय विद्युत् गृह के द्वितीय चरण के बकाया दायित्वों के लिए 31 करोड़ रुपये व पांचवीं इकाई पर आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इस इकाई से जून 2003 में विद्युत् उत्पादन प्रारंभ होना संभावित है। रामगढ़ गैस तापीय विद्युत् गृह की उत्पादन क्षमता वृद्धि के कार्य हेतु आगामी वर्ष में 45 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कोटा तापीय विद्युत् गृह की छठी इकाई के लिए आगामी वर्ष में 114 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में 1 हजार 750 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएगी जो पूर्व के 50 वर्षों में स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से भी अधिक है।

26. माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण विद्युत् छीजत अपेक्षाकृत अधिक है। हमारा प्रयास इस छीजत में धीरे-धीरे कमी लाना है जिसके लिए प्रसारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण अति आवश्यक है। इसी क्रम में आगामी वर्ष 2 हजार 145 किलोमीटर लंबी लाइनें डालना एवं विभिन्न क्षमताओं के 125 नये ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है।

सिंचाई :

- 27.** वर्ष 2002–03 में सिंचाई योजनाओं के लिए 357 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 85 करोड़ 79 लाख रुपये अधिक है। आगामी वर्ष में माही परियोजना पर 24 करोड़ रुपये, बीसलपुर परियोजना पर 20 करोड़ 90 लाख रुपये एवं सिद्धमुख—रतनपुरा वितरिका पर 8 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- 28.** गंगनहर के आधुनिकीकरण की 445 करोड़ 79 लाख रुपये लागत की योजना का कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्ष इस योजना पर 50 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- 29.** सिद्ध मुख—नोहर वृहद सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना से आगामी वर्ष में लगभग 94 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

30. सरदार सरोवर बांध से राजस्थान को नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जल आवंटित किया गया है। इस जल से जालौर एवं बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधा एवं 124 गाँवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना पर आगामी वर्ष में 35 करोड़ 29 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

31. प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं से उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना आगामी वर्ष में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 734 करोड़ रुपये है जिसमें से 590 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। योजना के प्रथम चरण में 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नहर प्रणालियों एवं बांधों को सुदृढ़ किया जाकर इनके संचालन एवं संधारण का कार्य जल उपभोक्ता संघों को सौंपा जाएगा। आगामी वर्ष में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

32. आगामी वर्ष में लगभग 132 करोड़ रुपये की लागत की तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं – सूकली, बांडी–सेंदङ्गा एवं गरड़दा जो क्रमशः सिरोही, जालौर एवं बूंदी जिलों में हैं प्रारंभ की जाएंगी। प्रत्येक परियोजना के लिए आगामी वर्ष में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

33. विभिन्न 92 सिंचाई परियोजनाओं हेतु नाबाड़ द्वारा आर.आई.डी.एफ.–VII के तहत 149 करोड़ 89 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

इंदिरा गांधी नहर :

34. इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आगामी वर्ष में 115 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इससे 112 किलोमीटर लंबी पक्की नहरों का निर्माण संभव होगा जिससे 25 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी।

सिंचित क्षेत्र विकास :

35. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास (CAD) हेतु आगामी वर्ष में 52 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। 27 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया जाकर सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

36. चंबल परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास (CAD) हेतु आगामी वर्ष में 6 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं जिससे 2 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के कार्य कराये जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी :

37. सूचना प्रौद्योगिकी हेतु आगामी वर्ष हेतु 18 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो चालू वर्ष से 6 करोड़ 78 लाख रुपये अधिक है।

38. झालावाड़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ई-प्रशासन की एक पायलट योजना बनाई गई है। आगामी वर्ष में इस योजना को कुछ और जिलों में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

उद्योग :

39. आगामी वर्ष में उद्योग क्षेत्र हेतु आयोजना मद में 53 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 33 प्रतिशत अधिक है।

40. बढ़ती लागत एवं सस्ते आयात के फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगों में रुग्णता बढ़ी है। राज्य के वित्तीय संस्थानों ने 1 हजार 75 रुग्ण औद्योगिक इकाइयां अधिग्रहीत (Acquire) कर रखी हैं। इनमें निवेशकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा अन्य की भारी पूंजी अवरुद्ध है। इन रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु बेचने में पुरानी बकाया राशियों के कारण काफी दिक्कतें आ रही थीं। अतः ऐसी इकाइयों को बिक्री कर आस्थगन तथा मुक्ति का लाभ देने, स्वामित्व हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति देने आदि के निर्णय लिये गये हैं।

ये रियायतें उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) बदलने पर भी मिलती रहेंगी। ऐसी ही रियायतें रुग्ण घोषित इकाइयों को भी देने का निर्णय लिया गया है।

41. रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा अधिग्रहीत उद्योगों को नए प्रबंधकों को बेचने पर बेचान से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत रीको अथवा राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वयं के पास रखा जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि अन्य विभागों जैसे वाणिज्य कर विभाग, उद्योग विभाग एवं विद्युत् कंपनियों की देनदारियों के विपरीत आनुपातिक रूप से बांट दी जाएगी। इस प्रक्रिया से रुग्ण उद्योगों के नए क्रेताओं को खरीदी गई इकाई लगभग सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त मिल सकेगी। मुझे आशा है कि इन निर्णयों से राज्य के वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिग्रहीत व रुग्ण इकाइयां पुनर्जीवित हो सकेंगी।

42. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई जल प्रदूषण की समस्या की रोकथाम के लिए 3 करोड़ रुपये की लागत से संयुक्त जल परिशोधन संयंत्र स्थापित करने की योजना है। आगामी वर्ष इस योजना पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त

इस क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों के लिए आगामी वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

43. खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए आगामी वर्ष में 9 करोड़ 5 लाख रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

44. हस्तकला की वस्तुओं की सुलभ बिक्री हेतु आगामी वर्ष में राज्य के बड़े शहरों में ग्रामीण हाट-बाजार स्थापित किए जायेंगे जिसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

45. राज्य में पत्थर उद्योग के विकास एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसकी पहचान बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में एक अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी की सफलता को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य के उद्यमियों की मांग पर

आगामी वर्ष “इंडिया स्टोन मार्ट – 2003” प्रदर्शनी एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

46. राजस्थान राज्य खान व खनिज निगम (RSMML) की गिनती राज्य के श्रेष्ठतम उपक्रमों में है। रॉक-फास्फेट का खनन व बिक्री इस उपक्रम की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। निगम ने पवन ऊर्जा के उत्पादन तथा जिप्सम, लाइम स्टोन, मार्बल आदि के खनन में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं तथा चालू वर्ष में 260 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होना संभावित है। इस वर्ष निगम को 18 करोड़ रुपये से अधिक शुद्ध लाभ होना अनुमानित है जो गत वर्ष की तुलना में दुगुने से भी अधिक है। आगामी वर्ष में बेनीफीशियेशन प्लांट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने, पवन ऊर्जा उत्पादन की दूसरी इकाई एवं लिंगनाइट प्रोजेक्ट आदि पर इस उपक्रम द्वारा 78 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

47. आर्थिक मंदी के बावजूद राजस्थान वित्त निगम इस वर्ष ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। निगम द्वारा अधिगृहीत 200 छोटी इकाइयां बेचने तथा आगामी वर्ष में 200 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने व 150 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाना संभावित है।

48. छोटे दुकानदारों एवं उद्यमियों को अपने धंधे के लिए ऋण प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहकारी बैंकों के माध्यम से आसान ऋण की व्यवस्था की जाएगी जिससे खरोजगार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ऐसे व्यवसायियों को किसान क्रेडिट कार्ड की भाँति “सुगम क्रेडिट कार्ड” सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके आधार पर वे न्यूनतम औपचारिकताओं के पश्चात् आवश्यकतानुसार 50 हजार रुपये तक ऋण उठा सकेंगे। प्रारंभ में यह क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं आगे चलकर अन्य बैंकों से भी यह व्यवस्था करवाई जाने के प्रयास किए जाएंगे।

कृषि:

49. कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए आगामी वर्ष में कुल 411 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

50. आगामी वर्ष में 204 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य फसलों के अलावा 127 लाख टन खाद्यान्न तथा 40 लाख टन तिलहन का उत्पादन होने की आशा है। इस हेतु किसानों को आगामी वर्ष में लगभग 6 लाख विवर्टल प्रमाणित व उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 8 लाख टन रासायनिक खाद भी उपलब्ध कराई जायेगी।

51. राज्य में भूमिगत जल में हो रही निरंतर कमी को ध्यान में रखते हुए इसके कुशलतम उपयोग हेतु फव्वारा सिंचाई, पाइप लाइन एवं बूंद-बूंद सिंचाई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जिससे कम पानी से अधिक क्षेत्र सिंचित हो सके। आगामी वर्ष में पाइप

लाइनें बिछाने एवं डिग्गी निर्माण व फव्वारा संयंत्र आदि के लिए किसानों को 4 करोड़ 35 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

52. वर्ष 2002–03 में क्षारीय भूमि सुधार, तिलहन उत्पादन व दलहन उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषकों को 98 हजार मैट्रिक टन जिप्सम उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जायेगा।

पशुपालन :

53. पशुपालन के लिए अगले वर्ष 116 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

54. वर्ष 2002–2003 में 200 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाएंगे।

वन :

55. आगामी वर्ष में वनों के विकास एवं मृदा संरक्षण हेतु योजना मद में 175 करोड़ 86 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि चालू वर्ष से 120 करोड़ 75 लाख रुपये अधिक है। इसमें जापान सरकार के सहयोग से राजस्थान वानिकी विकास परियोजना हेतु 164 करोड़ 52 लाख रुपये एवं बनास नदी घाटी के जलग्रहण क्षेत्रों में भू—संरक्षण कार्यों हेतु 9 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है।

56. इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत मरु क्षेत्र में टिब्बा स्थिरीकरण (Sand Dunes Stabilisation), सामुदायिक भूमि वृक्षारोपण एवं वृक्षावली वृक्षारोपण के कार्यों हेतु 33 करोड़ 77 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

ग्रामीण विकास :

57. ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उल्लेख किया गया था। नवीनतम जानकारी के

अनुसार चालू वर्ष में माह फरवरी 2002 तक इन योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त एवं राज्य सरकार की राशि सहित कुल 553 करोड़ 61 लाख रुपये की तुलना में 628 करोड़ 3 लाख रुपयों का व्यय किया गया जो प्राप्त राशि का 113 प्रतिशत होता है। इससे यह भ्रांति दूर हो जाती है कि भारत सरकार से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए प्राप्त राशि का राज्य सरकार पूरा उपयोग नहीं कर पाती। वर्ष 2002–2003 में भी इन योजनाओं पर लगभग 590 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे, जिसके लिए राज्य योजना में 248 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है तथा शेष राशि भारत सरकार से प्राप्त होना अनुमानित है।

58. आगामी वर्ष में इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि आवासीय योजनाओं के अंतर्गत नए आवासों के निर्माण एवं कच्चे व अर्द्धनिर्मित आवासों को क्रमोन्नत करने पर 44 करोड़ 67 लाख रुपयों का व्यय किया जाएगा।

59. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व आश्वासित रोजगार योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में एक करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजित करने के लक्ष्य की तुलना में मार्च 2002 तक 1 करोड़ 30 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित होने की आशा है। वर्ष 2002–2003 में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत 160 करोड़ रुपयों का व्यय किया जाएगा। इस नकद राशि तथा प्राप्त गेहूँ का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भू एवं जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता से कराये जायेंगे। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अगले वर्ष 1 करोड़ 60 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित होने की आशा है।

60. डी.डी.पी. (Desert Development Programme) एवं डी.पी.ए.पी. (Drought Prone Area Programme) योजनाओं के अंतर्गत जलग्रहण विकास से संबंधित विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं। आगामी वर्ष इन योजनाओं के लिए राज्य मद में 16 करोड़ 90 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। निर्धारित मैचिंग राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त की जायेगी।

- 61.** सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 में 33 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- 62.** संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्य के पांच जिलों हेतु आगामी वर्ष में राज्य योजना मद में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 63.** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु आगामी वर्ष में 98 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा :

- 64.** आगामी वर्ष प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 3 हजार 413 करोड़ रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- 65.** जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 61 हो गया है

जो वर्ष 1991 की जनगणना की तुलना में 22.5 प्रतिशत अधिक है। अन्य सभी राज्यों की तुलना में यह वृद्धि सर्वाधिक है। वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में राज्य में पहली बार निरक्षरों की संख्या में कमी आई है। पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत दस वर्षों में 55 से बढ़कर 76 हो गया है जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता 20 प्रतिशत से बढ़कर 44 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि पुरुषों की वृद्धि दर से भी अधिक रही है। इन उपलब्धियों के लिए राज्य को “दशाब्दी साक्षरता पुरस्कार” एवं “महिला दशाब्दी साक्षरता पुरस्कार” भी प्राप्त हुए हैं।

66. राज्य में शिक्षा के त्वरित विस्तार की मंशा से हमने ग्राम पंचायत स्तर पर तीन वर्ष पूर्व राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ खोलने का निर्णय लिया था जिसके अच्छे परिणाम रहे हैं। हमारे समग्र प्रयासों से शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है। केन्द्र सरकार ने हमारे इस अभिनव कदम का अनुसरण करते हुए शिक्षा—गांरटी—योजना के नाम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की ऐसी ही योजना पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है।

67. 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अनांमाकित बालक-बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु नामांकित करने की दृष्टि से इस वर्ष “शिक्षा आपके द्वार” के नाम से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के मध्य एक स्वस्थ प्रतिरप्धा पैदा करने के उद्देश्य से पुरस्कारों का प्रावधान भी किया गया है। इस हेतु आगामी बजट में 3 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

68. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं जैसे, शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष में राज्यांश पेटे क्रमशः 33 करोड़ 17 लाख, 16 करोड़ 40 लाख तथा 26 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

69. कक्षा 9 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए “बुक बैंक” की स्थापना की जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष में 41 लाख रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

70. आगामी वर्ष 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में व 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

71. राजकीय महाविद्यालयों में बी.एड. करने वाले नेत्रहीन छात्रों को आगामी सत्र से समस्त राजकीय शुल्कों से छूट देने का निर्णय लिया गया है।

उच्च शिक्षा :

72. उच्च शिक्षा पर आगामी वर्ष 255 करोड़ 65 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है जो इस वर्ष के बजट अनुमानों से 31 करोड़ 5 लाख रुपये अधिक है।

73. बीकानेर में आगामी वर्ष एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा :

74. आगामी वर्ष में तकनीकी शिक्षा पर 64 करोड़ 62 लाख रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है जो चालू वर्ष से 11 करोड़ 2 लाख रुपये अधिक है।
75. प्रत्येक पोलीटेक्नीक संस्थान को नवीनतम सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने, कम्प्यूटरों को क्रमोन्नत करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं आदि के लिए आगामी वर्ष में 1 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।
76. दूरु पोलीटेक्नीक के भवन निर्माण, उपकरण व अन्य सुविधायें विकसित करने हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ 15 लाख रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।
77. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं का अधिक उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी। चुने हुए केन्द्रों पर सांयकालीन सत्र चलाने का निर्णय लिया गया है जिसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी।

पर्यटन :

78. पर्यटन के क्षेत्र में राज्य का देश में प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान है। पर्यटन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। राज्य में पर्यटन विकास की विपुल संभावनाओं एवं उपलब्ध संसाधनों पर आधारित पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को एक जन-उद्योग के रूप में विकसित करने को सरकार ने उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इसी दृष्टि से पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को विभिन्न करों में रियायतें भी दी गई हैं।

79. आगामी वर्ष बजट में पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2002–2003 में पर्यटन के लिए आयोजना भद्र में 19 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2001–2002 की तुलना में दुगुना तथा वर्ष 2000–2001 की तुलना में छः गुना से अधिक है।

80. एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित संभागीय मुख्यालयों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की योजना में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों सर्वाईमाधोपुर,

माउन्ट आबू, जैसलमेर एवं पुष्कर में धरोहर संरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

81. राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को पर्यटन के साथ जोड़ने हेतु शिल्पग्राम, पर्यटन मेले एवं त्यौहार तथा हाट बाजारों को विकसित किया जाएगा। इससे जहां एक ओर हस्तशिल्पियों के उत्पादों का विपणन सीधा पर्यटकों को हो सकेगा वहीं दूसरी ओर रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे।

82. राज्य के पर्यटक आकर्षणों का देश-विदेश में सघन प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा तथा स्वदेशी पर्यटन के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु राजस्थानी उत्सव देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे।

83. जयपुर की हेरिटेज सिटी के रूप में पहचान बनाने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन द्वारा 2 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से एक प्रोजेक्ट “हेरिटेज वॉक” के नाम से स्वीकृत किया गया है। इसके तहत शहर के निवासियों का सहयोग लेकर एलबर्ट हॉल

से हवामहल तक 2.5 किलोमीटर के रास्ते व उस पर बने भवनों के संरक्षण का कार्य करवाया जायेगा। जयपुर के अन्य निजी चिन्हित भवनों, छौक, बावड़ियों को उनके स्वामियों को प्रोत्साहित कर पुनर्जीवित किया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद :

84. आगामी वर्ष चिकित्सा, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद सेवाओं पर 1 हजार 54 करोड़ 56 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

85. राजमार्गों पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शाहपुरा, दूदू, पीपाड़, रींगस, चाकसू, ऋषभदेव व महुआ आदि में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इसके लिए 88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

- 86.** सभी उपखंड मुख्यालयों पर राजकीय अस्पतालों में रक्त भंडारण की सुविधा एवं आपातकालीन सेवाएं चरणबद्ध रूप में उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
- 87.** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 200 सब-सेंटर्स को अपग्रेडेड सब-सेंटर्स में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सालय मदनगंज-किशनगढ़ में सी-श्रेणी के अस्पताल की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 88.** फलौदी व सूरतगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के अस्पतालों की क्षमता 50 शय्याओं से बढ़ाकर 75 शय्याओं की किया जाना प्रस्तावित है। पीपाड़ के अस्पताल में 30 से बढ़ाकर 50 शय्याओं की क्षमता की जाएगी।
- 89.** अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट (Biomedical Waste) के निस्तारण हेतु आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

90. राज्य सरकार आगामी वर्ष “मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष” में 10 करोड़ रुपये का अंशदान देगी।

91. जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

92. आगामी वर्ष में परिवार कल्याण के अंतराल साधनों के वितरण तथा स्थाई साधन अपनाने हेतु विवाहित दम्पत्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 हजार अतिरिक्त जनमंगल जोड़े बनाने का निर्णय लिया गया है।

93. गरीब महिलाओं को आपातकालीन प्रसूति सेवा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के 18 जिलों में पंचायतों के माध्यम से रेफरल ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। आगामी वर्ष से इस सुविधा को राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के छ: जिलों में चलाये जा रहे दाईं प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगामी वर्ष से सभी 32 जिलों में चलाया जाना प्रस्तावित है।

94. बढ़ती जनसंख्या में ठहराव लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की जनसंख्या नीति में वर्णित उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनसहभागिता एवं सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, गैर सरकारी संस्था (NGO), निजी चिकित्सालय तथा सरकारी चिकित्सालय को विशेष पुरस्कार देने की योजना प्रारंभ की है। इस हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

पेयजल :

95. प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए आगामी वर्ष में कुल 1 हजार 477 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वर्ष की तुलना में 234 करोड़ 72 लाख रुपये अधिक है।

96. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के संवर्द्धन, पुनर्गठन व नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आगामी वर्ष में 299 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

97. चालू वर्ष में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ मिलकर उदयपुर शहर में जलापूर्ति हेतु मान्सीवाकल परियोजना शुरू की गयी है। आगामी वर्ष में इस योजना पर 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

98. राजीव गांधी मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम पर आगामी वर्ष में 393 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इनमें से 50 करोड़ रुपये चूर्च बिसाऊ परियोजना पर, 70 करोड़ रुपये मरु क्षेत्र की ग्रामीण योजनाओं पर तथा 273 करोड़ रुपये सामान्य ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

99. एशियाई विकास बैंक के सहयोग से, राज्य के संभागीय मुख्यालयों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की 1 हजार 529 करोड़ रुपये लागत की परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना हेतु आगामी वर्ष में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

100. कृषि भूमि पर बसी आवासीय बस्तियों के नियमन कार्य को गति देने हेतु 1 मार्च से एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत यथासंभव बस्तियों में ही शिविर लगाये जा रहे हैं। भू-नियमन के साथ-साथ इन बस्तियों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य भी करवाये जायेंगे जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण आगामी वर्ष 40 करोड़ रुपये व्यय करेगा।

101. नगरीय क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव में धन की कमी से उनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से नगरीय स्थानीय निकायों को कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त राशि की 5 प्रतिशत राशि “अरबन रिन्यूअल फण्ड” में जमा

कराये जाने का निर्णय लिया गया है। चालू वर्ष के अंत तक इस फण्ड में 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा होने की आशा है।

102. ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को आगामी वर्ष में नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए 19 करोड़ 88 लाख रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे।

समाज कल्याण :

103. समाज कल्याण पर आगामी वर्ष में 325 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

104. वर्तमान सरकार पिछले तीन वर्षों से निःशक्त, असहाय एवं निराश्रित विधवाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के हितार्थ सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित कर रही हैं।

105. राज्य सरकार द्वारा पोलियो निदान एवं उसके उपचार को सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों व संस्थाओं के सहयोग से एक अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष 10 हजार से अधिक पोलियो ग्रस्त पाये गये व्यक्तियों के पोलियो करेक्शन ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है जबकि पूर्व वर्षों में औसतन 1 हजार 500 व्यक्तियों के ही ऑपरेशन हो पाते थे। इस कार्य के लिए आगामी वर्ष के बजट में 3 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस अभियान के महत्व को देखते हुए मैं इस प्रावधान को बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील है कि वे इस पुनीत कार्य में अधिक सहयोग करें।

106. पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगामी वर्ष से छात्रवृत्ति शुरू करने हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकता होने पर इस कार्य हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

107. राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 15 करोड़ 93 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

108. अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के सराहनीय परिणामों को देखते हुए पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने लाभान्वितों की संख्या 388 से बढ़ाकर 800 करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष म्यारह सौ छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का निश्चय किया गया है। इसके लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जायेगा।

109. अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु जर्मन सरकार के सहयोग से आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु आगामी वर्ष 13 करोड़ 50 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

110. सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन किया गया है। इस मिशन के निर्णयों की तुरंत पालना हेतु 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

111. प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियानों के दौरान 1 लाख से अधिक वृद्ध, निराश्रित एवं निःशक्त व्यक्ति व्यक्ति पेंशन स्वीकृत करने योग्य पाए गए हैं। इनमें से 80 हजार से अधिक पात्र व्यक्तियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा शेष मामलों में आदेश जारी किए जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास :

112. राज्य में चल रहे विभिन्न महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों पर आगामी वर्ष 240 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

113. समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 35 हजार 103 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। आगामी वर्ष समेकित बाल विकास योजना हेतु 124 करोड़ 17 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

114. राज्य में संचालित 257 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से “पूरक पोषाहार” कार्यक्रम के अंतर्गत 28 लाख से अधिक बच्चों तथा 7 लाख से अधिक गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोर बालिकाओं को लाभान्वित करने की योजना है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस हेतु 54 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में “प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना” के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि में से 59 करोड़ 42 लाख रुपये और व्यय किये जायेंगे।

115. आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण केन्द्र सरकार के सहयोग से कराया जाता है। आगामी वर्ष में इन भवनों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 13 लाख रुपये के राज्यांश का प्रावधान प्रस्तावित है।

116. सामूहिक विवाह के आयोजन पर देय अनुदान राशि से अब तक 6 हजार से अधिक वैवाहिक जोड़ों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस कार्य के सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

117. आगामी वर्ष 33 जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा जिस पर लगभग 80 लाख रुपये व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त दूर दराज की बस्तियों एवं ऐसे आश्रम छात्रावासों जिनका विद्युतीकरण अपेक्षाकृत अधिक खर्चीला है, को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया जायेगा। इस कार्य के लिए 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

118. जनजाति कृषकों के लिए सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु 3 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से 33 एनिकटों एवं 1 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से 9 जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से 1 हजार 870 कुओं को गहरा करवाने तथा 2 करोड़ रुपयों की लागत से 10 जलग्रहण योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

119. जनजाति के युवक—युवतियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

120. जनजाति परिवारों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु लगभग 1 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

अल्प संख्यक कल्याण :

121. अल्प संख्यक वर्ग के हितों की रक्षा एवं कल्याण हेतु राजस्थान अल्प संख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

122. राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम (NMFDC) द्वारा राज्य में अल्प संख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की गारंटी पर राजस्थान अल्प संख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम को वित्तीय सहायता दी है। आगामी वर्ष में अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी की राशि में आवयकतानुसार वृद्धि की जाएगी।

123. हज़ यात्रा करने वाले व्यक्तियों का 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है।

राजस्व प्रशासन :

124. राजस्व प्रशासन तंत्र को नागरिकों के और समीप ले जाकर सुदृढ़ करने की दृष्टि से जिला एवं उपखंड मुख्यालय से अलग स्थानों पर स्थापित 45 सहायक कलक्टर कार्यालयों को आगामी वर्ष में उपखंड अधिकारी कार्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

125. किसानों को राजस्व जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने में हो रही कठिनाई के निराकरण करने के उद्देश्य से भू—अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का बृहद् कार्यक्रम प्रगति पर है। यह आशा है कि आगामी वर्ष में समस्त भू—अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत नकल मांग पर सुविधा से उपलब्ध हो सकेगी। भू—अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।

पेंशन योजना :

126. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों के भुगतान पर वर्ष 1997—98 में 595 करोड़ 66 लाख रुपये का व्यय हुआ था जो आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में बढ़कर 2 हजार 27 करोड़ 68 लाख रुपये हो जाएगा। पेंशन परिलाभों पर लगातार बढ़ते भार को वहन करने में राज्य को भविष्य में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए नए भर्ती होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की जाएगी।

संशोधित अनुमान 2001–2002 :

127. वर्ष 2001–2002 के बजट अनुमानों में कुल बजट घाटा 283 करोड़ 70 लाख रुपये अनुमानित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है देशव्यापी मंदी के कारण बजट अनुमानों के विरुद्ध केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में लगभग 500 करोड़ रुपये की कमी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त राज्य के अपने कर राजस्व में भी लगभग 405 करोड़ रुपये की कमी आने की संभावना है। यद्यपि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है परन्तु कतिपय अपरिहार्य मदों जैसे राहत कार्य, सेवा निवृत्ति परिलाभ आदि में हुई वृद्धि के कारण चालू वर्ष का सकल घाटा बढ़कर 900 करोड़ 83 लाख रुपये होना संभावित है। वर्ष 2001–2002 के संशोधित अनुमानों का

संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियां	12 हजार 664 करोड़	98 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	16 हजार 175 करोड़	01 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	3 हजार 510 करोड़	03 लाख रुपये
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	13 हजार 159 करोड़	79 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	10 हजार 550 करोड़	59 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में अधिशेष	2 हजार 609 करोड़	20 लाख रुपये
7.	कुल बजट घाटा	900 करोड़	83 लाख रुपये

बजट अनुमान 2002—2003 :

128. वर्ष 2002—2003 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः—

1. राजस्व प्राप्तियां	14 हजार 312 करोड़	47 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	18 हजार 214 करोड़	38 लाख रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा	3 हजार 901 करोड़	91 लाख रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	10 हजार 773 करोड़	32 लाख रुपये
5. पूंजीगत व्यय	8 हजार 205 करोड़	47 लाख रुपये
6. पूंजीगत खाते में अधिशेष	2 हजार 567 करोड़	85 लाख रुपये
7. कुल बजट घाटा	1 हजार 334 करोड़	06 लाख रुपये

भाग-2

श्रीमन्, मैं अब कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

129. मंदी के कारण भारत सरकार और राज्य सरकारों के कर संग्रहण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कई राज्यों में राजस्व की बढ़ोत्तरी नगण्य रही है। मुझे आपको बताते हुये हर्ष हो रहा है कि, समकक्ष राज्यों की तुलना में, राजस्थान में करों की बेहतर वसूली हुई है। प्रक्रियाओं में गुणात्मक सुधार एवं करदाताओं की कठिनाईयों के निराकरण के कारण यह संभव हो सका है।

130. इन सुधारों को जारी रखते हुये एवं करापवंचन पर रोक लगाने के लिए, अधिनियम एवं नियमों में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं। इसका भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय में, जब हम राष्ट्रीय सहमति के आधार पर, वैट कर प्रणाली लागू करें, तब करदाता सहजता के साथ इसको अपना सके।

131. इन प्रस्तावों में, राज्य से व्यापार के पलायन को रोकना, रोजगार के साधन बढ़ाना, स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करना, करदाताओं की व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण करना एवं राज्य के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति करना मेरी प्राथमिकता रही है ।

132. राज्य में नये निवेश को प्रोत्साहन देने एवं रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए हमारी सरकार कठिबद्ध है । आप सभी को यह जानकर अत्यन्त खुशी होगी कि प्रदेश में लगने वाले नये उद्योगों पर, उनके द्वारा कच्चे माल पर देय, विक्रय कर की पूर्ण रूप से छूट देना प्रस्तावित कर रहा हूँ । यह छूट उनके उत्पाद पर देय विक्रय कर से सेट आफ के रूप में दी जायेगी । इससे प्रदेश में नये उद्योगों में निवेश का माहौल बनेगा ।

133. औद्योगिक एवं व्यापारिक मंदी के कारण प्रदेश के उद्योग धन्धों एवं रोजगार के अवसरों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से आप सभी अवगत है । इस कठिन समय में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार प्रदेश के उद्योगों का यथासंभव संरक्षण करे और राज्य में रोजगार के अवसरों

को बढ़ावा दे। सरकार द्वारा कई ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिनसे स्थानीय उद्योग को वांछित संरक्षण प्राप्त हो एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ें।

134. राज्य में रुग्ण एवं बन्द उद्योगों को चालू करने के लिये, सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि, नये उद्यमियों द्वारा उन्हें पुनः चालू करने पर, उन्हें भी बकाया बिक्री कर छूट का लाभ देय होगा। यह लाभ विविधिकरण करने पर भी अनुज्ञेय होगा। मुझे विश्वास है कि इससे बन्द पड़े हुए अथवा बीमार उद्योगों में नई जान आयेगी एवं प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

135. राजस्थान के अति-महत्वपूर्ण कृषि आधारित खाद्य तेल उद्योग कई वर्षों से संकट में है। काश्तकारों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाने तथा राज्य में मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, राज्य में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त सभी तिलहनों पर देय, दो प्रतिशत कर में से एक प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ। यह छूट तेल मिलों द्वारा विनिर्मित तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर संदेय कर में से सेट आफ के रूप में देय होगी।

136.

इसके अतिरिक्त, राजस्थान में विनिर्माण एवं परिष्करण हेतु, कच्चे माल के रूप में, बाहर से लाये जा रहे, तिलहन व खाद्य तेल पर एक प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जाना भी प्रस्तावित कर रहा हूँ। इससे राजस्थान में उत्पादित तेल, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्पर्धा का सामना कर सकेगा। खल की अन्तर्राज्यीक बिक्री कर दर, एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत की जा रही है।

137.

प्रदेश में गेहूं पर आधारित छोटी-बड़ी अनेक आटा, मैदा, सूजी की मिलें स्थापित हैं। इनमें से अधिकांश अन्य प्रदेशों से, कर विषमता के कारण आयातित माल की वज़ह से बन्द हो चुकी हैं, या बन्द होने के कगार पर हैं। इस महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग को, एवं उनमें नियोजित कामगारों के रोजगार संरक्षण हेतु, मैं राजस्थान में बाहर से आयातित आटा, मैदा, सूजी पर दो प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ। आटा, मैदा, सूजी की अन्तर्राज्यीक बिक्री पर देय कर में से, गेहूं पर राज्य में चुकाया गया, समस्त चार प्रतिशत कर का, सेट आफ दिया जाना भी प्रस्तावित करता हूँ।

138. कपास उत्पादन में राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ वर्षों से आर्थिक मंदी के कारण प्रदेश की कई कटाई मिलें, जिनमें सहकारिता क्षेत्र की मिलें शामिल हैं, रुग्ण प्रायः हो गई हैं। इन्हें पुर्नजीवित करने एवं राजस्थान के किसानों को उनकी कपास की वाजिब कीमत दिलाने के लिए, मैं इन ईकाइयों द्वारा, राज्य में कपास के क्रय पर प्रदत्त विक्रय कर की पचास प्रतिशत की छूट, सूत पर देय कर में से, सेट आफ के रूप में दिया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ।

139. डी.एम.टी. एवं एम.ई.जी. सिन्थेटिक धागा का कच्चा माल है। राज्य में इस व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए डी.एम.टी. एवं एम.ई.जी. पर विक्रय कर की दर दो घटाकर 0.75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। मुझे उम्मीद है कि कर के घटाने से राज्य में व्यापार बढ़ने से राजस्व में वृद्धि होगी।

140. प्रदेश में सिलेण्डर बनाने की करीबन दस ईकाइयां हैं जिन में से अधिकतर ईकाइयां बंद हो गई हैं। इन ईकाइयों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सिलेण्डर पर बिक्री कर की दर 12 से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

141. इसी प्रकार प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने हेतु रेफिजरेन्ट्स, कूलिंग गैस एवं दूर संचार हेतु मार्झक्रोवेव टावर पर कर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

142. आगरा से फाउण्डरी उद्योग राजस्थान में स्थानान्तरित हो रहा है। ऐसी ईकाइयों को बढ़ावा देने के लिए एवं उन्हें प्रतिस्पर्धा में रखने के लिए, उनके ढलाई-उत्पाद पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

143. राजस्थान से करीब दो सौ करोड़ रुपये के मूल्य के हस्त निर्मित गलीचे निर्यात होते हैं। गलीचे निर्माण में हजारों की संख्या में कुशल कारीगरों को रोजगार मिलता है। प्रदेश से गलीचा निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु निर्यातकों द्वारा कुशल कारीगरों से तैयार गलीचा क्रय करने पर, देय क्रय कर समाप्त किया जा रहा है।

144. राजस्थान में स्थित गौशालाओं में गोबर, गौ मूत्र एवं इनसे बने उत्पाद और औषधियों को बिक्री कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

145. प्रदेश में नान-फेरस मेटल उद्योग के विकास की प्रचुर संभावना को देखते हुये अलौह धातु एवं उनके अलाय (मिश्रण) को कच्चे माल के रूप में खरीदने पर प्रदत्त विक्रय कर को, उनसे निर्मित सामान पर देय विक्रय कर में से, सेट आफ के रूप में छूट देना प्रस्तावित करता हूँ। इससे प्रदेश में तांबा, पीतल आदि पर आधारित छोटी-छोटी ईकाइयां लगने की संभावना बढ़ेगी।

146. राज्य में स्थापित लीफ स्प्रिंग (पत्ता कमानी) की अधिकांश इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं। इन्हें पुनर्जीवित करने हेतु राज्य परिवहन निगमों व रेल्वे को, बिक्री किये जाने पर, कर दर 8 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

147. बहुत सारी औद्योगिक ईकाइयों द्वारा बिजली उत्पादन में प्रयुक्त डीजल को राज्य के बाहर से मंगाने की वजह से राजस्व की हानि हो रही है। राज्य सरकार अब इस पर कच्चे माल के रूप में कर की वसूली करेगी।

148. ब्लेन्डेड चाय को विनिर्माण मानते हुए दोहरा कर लग रहा है। इस विसंगति को समाप्त करने के लिये चाय की ब्लेन्डिंग को विनिर्माण नहीं माना जायेगा। चाय पर अब एक बार ही कर लगेगा एवं इसकी दर यथावत रहेगी।

149. प्रवेश कर राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। वर्तमान में दस प्रतिशत तक प्रवेश कर लगाया जा सकता है। वित्त विधेयक में मैंने इस सीमा को बढ़ाकर बीस प्रतिशत तक किया जाना प्रस्तावित किया है, ताकि आवश्यकतानुसार हम प्रवेश कर लागू कर सकें। कई राज्य इस कर साधन का प्रयोग अपने राज्यों में स्थित उद्योगों के संरक्षण के लिए भी कर रहे हैं।

150.

राज्य की राजस्व आय को बढ़ाने के लिए एवं राजस्थान के उद्योगों का संरक्षण करने के लिए मैं, कुछ वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ:-

- (I) ऐयरकंडीशनर, फोटोकापियर, कम्प्युटर, हाईड्रोलिक एक्सवेटरर्स, मोबाईल क्रेन, हाईड्रोलिक डम्पर्स, डाई एवं डाई स्टफ, बिट्युमिन, सीमेन्ट एवं ग्वार अन्य राज्यों से केन्द्रीय बिक्री कर देकर राजस्थान में लाई जा रही है, जिससे स्थानीय व्यापार तथा राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः उपरोक्त वस्तुओं पर मैं एक से चार प्रतिशत तक प्रवेश कर लगाये जाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि यदि इन वस्तुओं पर राज्य में बिक्री कर का भुगतान कर दिया जाता है तो, इन पर प्रवेश कर देय नहीं होगा।
- (II) पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पाद पर एक प्रतिशत, फर्नेस ऑयल पर दर दो प्रतिशत और लाईट डीजल आइल पर चार प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। नेथा को, खाद बनाने का कच्चा माल होने के कारण, प्रवेश

कर से मुक्त रखा जा रहा है। इनसे प्राप्त राजस्व, राज्य में सड़क व अन्य आधारभूत ढांचे के विकास हेतु संसाधन जुटाने में काम आयेगा।

- (III) फ्लोर रेट्स के कारण चप्पल पर दी हुई कीमत आधारित छूट समाप्त की जा रही है। पूर्व में जारी हवाई चप्पल की कर प्रशमन योजना यथावत रहेगी।
- (IV) कपड़े धोने के साबुन की वर्तमान में कर की चार प्रतिशत और आठ प्रतिशत दो श्रेणियां है। फ्लोर रेट के क्रम में तथा करापवंचन एवं विवाद की संभावनाओं को समाप्त करने हेतु एक ही श्रेणी अर्थात् आठ प्रतिशत कर का प्रस्ताव करता हूँ।
- (V) हस्तशिल्प उत्पादों पर चल रही कर की छूट को यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी में आया है कि मंहगे फर्नीचर भी हस्तशिल्प के रूप में इस छूट का लाभ उठा रहे हैं। अतः अब फर्नीचर पर हस्तशिल्प पर मिलने वाली छूट अनुज्ञेय नहीं होगी, लेकिन निर्यात किये जाने वाले फर्नीचर पर बिक्री कर की छूट यथावत रहेगी।

150. सरकार द्वारा समस्त कम्पोजिशन स्कीमस् का पुनर्विलोकन किया गया है। डीलरों को यह अधिकार है कि वे प्रचलित दर से कर जमा करायें अथवा कम्पोजिशन स्कीमस् का लाभ लें। कम्पोजिशन स्कीमस् के स्लेब्स में कुछ बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की जा रही है।

151. अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2000–2001 में टर्नओवर टैक्स राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था। राज्य के बढ़ते हुये वित्तीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुये, मैं वर्तमान कर मुक्ति शुल्क के स्लेब्स में परिवर्तन प्रस्तावित कर रहा हूँ। लेकिन तीस लाख रूपये तक के टर्न ओवर वाले व्यवहारी इस कर से मुक्त रहेंगे।

152. वर्ष 1999–2000 में व्यवसाय कर प्रस्तावित किया गया था। गत वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक इस कर के दायरे में आने वाले अनेक करदाता प्रक्रियाओं की कठिनाई के कारण अपने कर दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं, शीघ्र ही व्यवसाय कर की प्रक्रियाओं का व्यापक सरलीकरण करने जा रहा हूँ। पूर्व में जिन वर्गों को व्यवसाय कर से छूट दी गई थी, वह यथावत रहेगी।

153. खादी एवं ग्रामोद्योग की महत्ता से हम सभी अवगत है, लेकिन कतिपय बड़े उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग के नाम से करापवंचन कर रहे है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार, दो माह में, खादी एवं ग्रामोद्योग में परिभाषित वस्तुओं का पुनर्वालोकन करेगी।

154. अध्यक्ष महोदय, उद्योग व व्यापार की व्यवहारिक कठिनाईयां निराकरण करने के लिये मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ :

155. राज्य में माल के आयात एवं निकास के समय फार्म 18—ए एवं 18—सी का उपयोग होता है। कई बार इसे भरने में तकनीकी खामियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होते है एवं विभाग द्वारा शास्ति आरोपित कर दी जाती है। करदाताओं की कठिनाईयों को देखते हुये, इन फार्मों से संबंधित प्रक्रियाओं का और सरलीकरण किया जायेगा जिससे विवादों में कमी हो एवं समस्याओं का निराकरण हो सके।

156. वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित बहुत सारे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बे समय से विवादित चल रहे हैं। उनके त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार लोक अदालतों की भाँति, एक सेटलमेंट बोर्ड का गठन करेगी। इससे विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकदमों का निस्तारण आपसी रजामंदी के आधार पर किया जा सकेगा। इस सेटलमेंट बोर्ड का गठन एवं संबंधित नियमों का निर्धारण तीन माह के समय में कर दिया जायेगा।

157. राज्य को देय विभिन्न कर, फीस आदि मांगों के विलंब से भुगतान किये जाने पर ब्याज देय हो जाता है। वर्तमान में लागू ब्याज की दरें अधिक महसूस की जा रही हैं। अतः कतिपय करों से संबंधित ब्याज की दरों को तर्कसंगत एवं समानीकृत किया जाएगा। राज्य सरकार को देय ब्याज की दर को 18 प्रतिशत, एवं राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज की दर को 8 प्रतिशत 1.4.2002 से किया जाना प्रस्तावित है।

158. वर्तमान में एक ही बैंक में कर जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। उद्योग एवं व्यापार की मांग को देखते हुये सरकार ने कुछ अन्य बैंकों में भी कर जमा कराने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। ऐसे बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त कर, राशि जमा कर सकेंगे।

159. राजस्थान में काफी मात्रा में माल राज्य के बाहर से आता है। ऐसा अनुमान है कि इसमें से काफी माल कर न चुकाने की नीयत से कतिपय ट्रांसपोर्ट कम्पनियों की मिलीभगत से राज्य में लाया जाता है। कर अपवंचन को रोकने के लिये माल वाहक वाहनों को अब चिन्हित चैक पोस्टों से गुजरते वक्त अपने साथ लाये एवं बाहर ले जा रहे माल का विवरण देना पड़ेगा। इसके लिये कानून में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। इस व्यवस्था से ईमानदार करदाता को राहत मिलेगी और कर अपवंचन रुकेगा।

160. राज्य में लाटरी का चलन सन् 1998 में पूर्णतया बंद कर दिया था। बंद करने के पीछे कारण यह थे कि एक अंक की लाटरी का जनता में दुष्प्रभाव पड़ रहा था। भारत सरकार ने भी कानून बना कर इसे अवैध कर दिया था। लाटरी से आमदनी भी नगण्य थी। परन्तु लाटरी की मांग

हमेशा से रही है। देश में लगभग 13 राज्य किसी न किसी रूप में लाटरी का संचालन कर रहे हैं। हाल ही में सिविकम एवं कुछ अन्य राज्यों ने इन्टर-नेट एवं कम्प्युटर के माध्यम से ऑन-लाईन वद सपदमद्व लाटरी प्रारम्भ कर दिया है, या करने जा रहे हैं। ऑन-लाईन लाटरी से अच्छी आमदनी होने की संभावना व्यक्त की गई है। वैसे भी इतने सारे अन्य राज्यों की लाटरी के चलते राज्य में अनियमित रूप से लाटरी की बिक्री की संभावना बनी रहती है। इससे बिक्री कर के राजस्व से भी वंचित रहना पड़ता है। अतः राज्य में ऑन-लाईन लाटरी का संचालन प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। ऑन लाईन लाटरी पर 25 प्रतिशत दर से विक्रय कर देय होगा।

161. मुद्रांक शुल्क में देय शुल्कों में परिवर्तन वित्त विधेयक में पृथक से पेश कर रहा हूँ। प्रस्ताव अनुसार सगे संबंधियों के अतिरिक्त निष्पादित पावर ऑफ अटार्नी में देय मुद्रांक शुल्क में घृद्धि कर पाँच सौ रुपये की जा रही है। सगे संबंधियों द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटार्नी पर देय मुद्रांक शुल्क यथावत तीस रुपये ही रहेगा।

162. कतिपय वस्तुओं पर बिक्री कर दर में पूर्व में दी गई छूट को अब 31.3.2003 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

163. मुझे विश्वास है कि इन प्रस्तावों से राज्य में कृषि, व्यापार एवं उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। इन रियायतों के बावजूद, कर दरों के सुसंगतिकरण, बेहतर कर अनुपालना तथा प्रबन्धन से राज्य की राजस्व आय मेंलगभग पचास करोड़ रुपयों की वृद्धि की अपेक्षा करता हूँ।

164. वर्ष 2002–2003 के बजट अनुमानों में 1 हजार 334 करोड़ 6 लाख रुपये का अपूरित घाटा छोड़ा गया है। कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद विकास कार्यों को जारी रखा जा सके इस दृष्टि से कर ढांचे को और सुसंगत बनाते हुए विभिन्न प्रस्ताओं से कुल 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास किया गया है जो आगामी वर्ष के घाटे को कम करने में सहायक होगा। इसके पश्चात जो आपूरित घाटा रहेगा उसे बेहतर कर संग्रहण और परिहार्य व्यय पर नियंत्रण से कम करने का प्रयास किया जाएगा।

165. मैं वर्ष 2002–2003 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि सदन के पास वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, अतः मैं वित्तीय वर्ष 2002–2003 के पहले चार महीनों की अवधि के लिए, अर्थात् 31 जुलाई 2002 तक के लिए, व्यय हेतु लेखानुदान की मांग कर रहा हूँ।

166. लगातार तीन वर्षों तक अकाल की विभीषिका का सामना करने एवं मंदी के दौर के बावजूद हमने राज्य की वित्तीय स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया एवं राज्य के विकास की गति को बनाए रखा। हमें आशा है कि अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार होगा तथा इस बजट के माध्यम से हम अपने विकास के संकल्प को पूरा कर सकेंगे। इसी आशा व विश्वास के साथ मैं इन बजट प्रस्तावों को लेखानुदान के प्रस्ताव सहित माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

“जयहिन्द”